न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-83/2017

हरिराम पुत्र चुन्ना उर्फ चुन्नीलाल जाति जाट निवासी शिवसिंहपुरा तहसील व जिला सीकर (राज0)

---अपीलान्ट---

--बनाम--

1- उदाराम पुत्र मुन्ना
2- भागीरथ पुत्र मुन्ना
3- सुरजनसिंह पुत्र मुन्ना
4- चुन्ना उर्फ चुन्नीलाल पुत्र बिरदा
5-नन्दा उर्फ नन्दलाल पुत्र बिरदा

(1 से 5) जाति जाट निवासी शिवसिंहपुरा तहसील व जिला सीकर ।

6- सुनितादेवी पत्नी श्रीचन्द ढाका जाति जाट निवासी टाईगर स्कूल के पास नवलगढ रोड सीकर तहसील व जिला सीकर ।

7- मेघाराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी दीनारपुरा हाल आबाद शिवसिंहपुरा तहसील व जिला सीकर ।

9- पटवारी पटवार हल्का कुडली तहसील व जिला सीकर ।

10-लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार सीकर तहसील व जिला सीकर ।

11-उप पंजीयक अधिकारी उप पंजियक कार्यालय जिला सीकर ।

--रेस्पोडेन्टस---

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 6-11-2017 द्वारा उप खण्ड अधिकारी सीकर ।

---0---

उपस्थिति-

1-श्री रामेश्वरलाल बिजारणीया एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री नानूराम बुडानिया एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 15.2.2018

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व...

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकर

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/अपीलान्ट ने अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0-4 आपस में पिता पुत्र हैं तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0-1 से 5 एक ही परिवार के सदस्य है ।जिनको प्रकरण में दर्ज विवादित आराजी विरासत में प्राप्त हुई है । ग्राम शिवसिंहपुरा में खसरा नं0 253 रकबा 0.61 हैक्टर,ख0नं0 258 रकबा 0.58 हैक्टर,ख0नं0 114 रकबा 0.04 हैक्टर,ख0नं0 115 रकबा 0.03 हैक्टर,ख0नं0 116 रकबा 1.80 हैक्टर,खसरा नं0 125 रकबा 0.06 हैक्टर,ख0नं0 126 रकबा 1.74 हैक्टर,ख0नं0 214 रकबा 0.76 हैक्टर,ख0नं0 107 रकबा 1.15 हैक्टर कुल किता-9 रकबा 6.77 हैक्टर के कर्त्ताखानदान स्व0 सेवाराम काबिज काश्तकार था। जिसके देहान्त पर यह भूमियां प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0-1 से 5 को विरासत में प्राप्त हुई है । अप्रार्थी सं0- 6 से 8 इस आराजी की सहखातेदार होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है । उक्त आराजीयात का मौखिक बंटवारा किया जाकर पक्षकार अपने अपने हिस्से पर काबिज है तथा अप्रार्थी सं0-6 से 8 क्रय के बाद अपने क्रय शुद्धा आराजी पर काबिज है । उक्त आराजी पर प्रार्थी एवं उसके परिजन काफी समय पूर्व ही आवासीय मकान बनाकर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । मुताबिक बंटवारा प्रार्थी के हिस्से में खसरा नं0-125 व 126 से सटता हुआ आम रास्ता गुजरता है उक्त आराजी प्रार्थी के हिस्से में आई है तथा शेष भूमिया पर अन्य काश्तकार काबिज है ।ख0नं0 125 व 126 पर प्रार्थी व उसका भाई सावंरमल 1/2, 1/2 हिस्से पर काबिज है । प्रार्थी पूर्व में फौज की नौकरी करता था किन्तु प्रार्थी का पिता शराबी व नशे का आदि होने से प्रार्थी को समय से पूर्व ही नौकरी छोडकर आनी पडी ताकि वह अपने परिवार की हालत को सुधार सके किन्तु प्रार्थी का पिता अपनी आदतों में कोई सुधार नही किया। तथा प्रार्थी का पिता उक्त आराजी को छोटे-छोटे प्लाटों में काटकर बैचान कर चुका । तथा आगे भी बैचान करने की धमकी दी जिस पर प्रार्थी ने मना किया तो वह नहीं माना बल्कि प्रार्थी के साथ मारपीट पर उतारू हो गया । जिस पर प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर योग्य अदालत मातहत ने प्रार्थना पत्र को [illegible]

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर पेश की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने अपना निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों पर बिना विवेचन किये किया गया है । अपीलान्ट ने अदालत मातहत में ख0नं0 125 व 126 से सटे रास्ते के बाबत है न कि बंटवारा के बाबत ।अदालत मातहत ने विवादित भूमि को विक्रय करने की रेस्पोडेन्ट को दौराने दावा प्रार्थना पत्र खारिज कर छूट दे दी जो विधि के विपरित है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट के पिता रेस्पोडेन्ट संख्या-4 द्वारा आराजी ख0नं0 214 में से बैचान किया जाना मान्य कर प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी भूल की है । विवादित आराजी पैत्रिक होने से भी प्रथम दृष्टया अपीलान्ट के पक्ष में है ।इसके बाद भी अदालत मातहत ने अपीलान्ट का मामला प्रथम दृष्टया न मानकर प्रार्थना पत्र विधि के विपरित खारिज किया है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौह--राते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में अदालत मातहत के निर्णय को उचित ठहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी का बाहमी बंटवारा हो चुका यह तथ्य स्वयं अपीलान्ट ने स्वीकार किया है ।बाहमी बंटवारे के अनुसार खसरा 214 रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 5 के हिस्से में आया है । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में ख0नं0 125 व 126 पर अपना कब्जा बताया है जिसमें अपने भाई का 1/2 हिस्से पर कब्जा तथा 1/2 हिस्से पर अपना कब्जा स्वीकार किया है । इस प्रका--र जब अपीलान्ट का ख0नं0 125 व 126 पर कब्जा काश्त है । अपीलान्ट का ख0नं0 214 से कोई लेना देना नहीं तथा ना ही कब्जा है । इसके बाद भी

है । अदालत मातहत ने सभी तथ्यो पर गौर करने के बाद अपना निर्णय दिया अपीलान्ट ने अपनी दो सगी बहिनो को पक्षकार तक नहीं बनाया है ।खसरा नं0 214 उक्त आराजीयात से अलग है। जिसमें से रेस्पोडेन्ट संख्या-4 ने दिनांक 16-3-2016 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मूलचन्द को विक्रय है जिसके प्रतिफल से रेस्पोडेन्ट संख्या-4 ने खसरा नम्बर 107 रकबा 1.15 हैक्टर भूमि अपनी पत्नी के नाम से क्रय की है ।इन भूमियों पर स्थगन आदेश प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र अपीलान्ट ने विधि के विपरित पेश किया जिसे अदालत मातहत ने सभी तथ्यों पर गौर कर खारिज किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है । अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी सं0-2013 से 2016, 2017 से 2020 में ख0नं0 67 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा सेवा वल्द परसा, ख0नं0 91 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा बकाश्त बिरदा पुत्र सेवा के नाम दर्ज है ख0नं056, 136 व 137 बकाश्त सेवा के नाम दर्ज है । उक्त आराजी जमाबन्दी सं0-2021 से 2024 मे चूना पुत्र बिरद्धा के नाम दर्ज है । जो सम्वत 2032 तक लगातार दर्ज रही है। जमाबन्दी सं0-2055 से 2058 मे ख0न0 107, 114, 115, 116, 125, 126, 214, 253, 258 कुल किता-9 रकबा 6.77 हैक्टर चूना, नन्दा पि0 बिडदा हि0 1/2, मुना पुत्र सेवा हि0 1/2 के नाम दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल स0 2041 से 2060 का अवलोकन किया गया । पत्रावली मे राजस्व रेकार्ड का अवलोकन करने पर विवादित आराजी पुराने खसरा नम्बर अपीलान्ट के दादा सेवाराम की खातेदारी मे दर्ज है ।सेवाराम के देहान्त के बाद विवादित आराजी 1/2 हिस्सा बिडदा के पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या-4 व 5 के नाम तथा 1/2 हिस्सासेवाराम के पुत्र मुन्ना के नाम दर्ज है । इससे यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी पैत्रिक है जो अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के पूर्वज सेवाराम के नाम जमाबन्दी सं0-2013 से2016, 2017 से 2020 में दर्ज रही है। इस आराजी का खातेदार अपीलान्ट का पिता रेस्पोडेन्ट संख्या-4 है रेकार्ड के आधार पर आराजी का बैयान अथवा अन्तरण करता है तो अपीलान्ट को अपूर्ति क्षति होगी। विवादित

पैत्रिक होने से तथा अपीलान्ट के दादा के नाम दर्ज रहने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन भी अपीलान्ट के पक्ष में है । अपीलान्ट का दावा घोषणार्थ विचाराधीन है । दौराने दावा आराजी को खुर्द बुर्द किया जाना अथवा बैचान किया जाता है तो अपीलान्ट का दावा करना भी निरर्थकहोगा साथ ही पक्षकारों के मध्य और अधिक विवाद बढने की सम्भावनाऐं अधिक रहती है । अतः हम प्रकरण में स्थगन प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित मानते हैं ।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधि-कारी, सीकर का निर्णय दिनांक 6-11-2017 खारिज किया जाता है तथा उभयपक्षों को दौराने दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह विवादित आराजी का रहन बैय/अन्तरण नहीं करें तथा मौके पर किसी प्रकार का कच्चा पक्का निमार्ण नहीं करें ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 15-2-2018 को सुनाया गया ।

(भंवरलाल मेहरडा)
भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर